

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 554]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 10, शक 1936

जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषक संगठन गठन नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 3 में, उपनियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(10) जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय बनाई गई हैं जिनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होंगे, जल उपभोक्ता संथाओं में अपेक्षित संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है. वृहद तथा मध्यम सिंचाई प्रणाली की प्रत्येक जल उपभोक्ता संथा में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे. लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या छह होगी. अतएव जिला कलक्टर प्रत्येक जल उपभोक्ता क्षेत्र को यथासंभव समान रूप से निम्नानुसार विभक्त करेगा, अर्थात् :—

(एक) वृहद अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली में बारह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में और;

(दो) लघु सिंचाई प्रणाली की दशा में छह प्रादेशिक क्षेत्रों में जहां तक बराबर हो :

परन्तु जहां प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जा रहा हो, वहां यथासंभव सीधे पाईप निकासी से कमाण्ड क्षेत्र को दो भागों में विभक्त नहीं किया जाएगा.”.

(2) नियम 4 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(1) जिला कलक्टर, प्ररूप-ग में अधिकार अभिलेख के आधार पर भू-धारकों की सूची तैयार करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से तैयार करवाएगा। इस प्रकार तैयार की गई सूची के आधार पर, वह प्ररूप “घ” में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाताओं की सूची उन भू-धारकों को मिलाकर तैयार करेगा या तैयार करवाएगा जिन्होंने कि किसी जल उपभोक्ता क्षेत्र में जल उपभोक्ता संथा के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य का निर्वाचन कराने के लिए जारी अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख को अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो.”

(3) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“4-क प्रथम निर्वाचन के समय प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की, पदावधि का नियत किया जाना.—मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि निम्नानुसार नियत की जाएगी :—

(1) जल उपभोक्ता संथाओं की प्रबंध समितियां निरंतर निकाय होने के कारण प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथापि यह प्रयोग केवल प्रथम निर्वाचन तक सीमित रहेगा, अर्थात् :—

(क) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य एक बार के लिए निर्वाचित होंगे जिनमें से दो वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, दूसरे एक तिहाई सदस्य चार वर्ष पूर्ण हो जाने पर तथा शेष एक तिहाई सदस्य पद पर छह वर्ष पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे;

(ख) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन कराने के पूर्व उनकी व्यक्तिगत पदावधि का निर्णय करने के लिए लॉट निकाला जाएगा और उसे यथास्थिति उसे प्ररूप-क 1 या क 2 में अभिलिखित किया जाएगा;

(ग) जल उपभोक्ता संथा की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अपनी-अपनी पदावधि का विनिश्चय करने के लिए जिला कलक्टर, किसी अधिकारी को, पदाविहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो जहां तक हो सके, राज्य सरकार के तहसीलदार की श्रेणी से निम्न श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। मध्यप्रदेश कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्ररूप-1 में सूचना के प्रकाशन के सात दिन पूर्व लॉट निकाले जाएंगे;

(घ) पश्चात्त्वर्तीय साधारण निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समान रूप से छह वर्ष होगी।

(2) प्रथम निर्वाचन में निर्वाचित प्रादेशिक क्षेत्रों के सदस्यों की पदावधि नियत करने के लिए लॉट निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :—

(क) वृहद तथा मध्य सिंचाई प्रणालियों के लिए

(एक) समान आकार के सफेद कागज की चौकोर वर्ग की बारह पर्चियां तैयार की जाएंगी, तत्पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 से 12 उपरोक्त पर्चियों के ऊपर लिखे जाएंगे। यह पर्चियां एक लॉट में रखी जाएंगी। जिसे इसके पश्चात् “प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट” कहा जाएगा;

(दो) समान आकार के सफेद कागज की चार चौकोर पर्चियां जिनमें से प्रत्येक पर, शब्द “दो वर्ष” लिखा होगा और ऊपर वर्णित के अनुसार मोड़ी जाएंगी। इसी प्रक्रिया के समान चार पर्चियां जिन पर शब्द “चार वर्ष” तथा चार और पर्चियां जिन पर शब्द “छह वर्ष” लिखे होंगे, तैयार की जाएंगी। मोड़ी गई ये समस्त बारह पर्चियां एक अन्य लॉट के रूप में रखी जाएंगी जो इसमें इसके पश्चात् “पदावधि लॉट” कहलाएगा;

- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की विभिन्न पदावधियां नियत करने के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रत्येक लॉट में पर्चियों को उलट पुलट करते हुए "प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लॉट" से एक पर्ची उठाएगा और "पदावधि लॉट" में से भी एक पर्ची उठाएगा;
- (चार) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा यथानामनिर्दिष्ट तहसीलदार की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी दो लॉटों से इस प्रकार उठाई गई पर्चियों को सूचीबद्ध करेगा तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और तदस्थानी पदावधि की ऊंचे स्तर में घोषणा करेगा. घोषणा के पश्चात् उठाई गई पर्चियों को पृथक् से रखा जाएगा;
- (पांच) यह सूचना प्ररूप-क 1 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवाई जाएगी;
- (छह) जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त सदस्यों की पदावधि का विनिश्चय होने तक वही प्रक्रिया अपनाएगा.
- (ख) लघु सिंचाई प्रणाली के लिए—
- (एक) सफेद कागज की समान आकार की छह चौकोर पर्चियां तैयार की जाएंगी. उपरोक्त पर्चियों पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की 1 से 6 तक संख्या लिखी जाएगी. पर्चियां एक तरफ से मोड़ दी जाएंगी मुड़ी हुई पर्चियां एकल "लॉट" में रखी जाएंगी, जो इसमें इसके पश्चात् "प्रादेशिक निर्वाचन लॉट" कहा जाएगा;''
- (दो) "पदावधि लॉट" में "दो वर्ष" लिखी हुई दो पर्चियां होंगी अन्य दो पर्चियां शब्द "चार वर्ष" लिखी हुई होंगी तथा शेष दो पर्चियां शब्द "छह वर्ष" लिखी हुई होंगी";
- (तीन) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों के निर्णय के लिए जिला कलक्टर अथवा जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली की दशा में उसी प्रक्रिया को अपनाएगा जो ऊपर यथाविनिर्दिष्ट है;
- (चार) यह सूचना प्ररूप-क-2 में साथ-साथ अभिलिखित की जाएगी तथा कार्यपालन यंत्री अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी का) तथा संबंधित उपयंत्री के हस्ताक्षर गवाह के रूप में अभिप्राप्त किए जाएंगे तथा उसके हस्ताक्षर से ऐसी प्रविष्टि अधिप्रमाणित करवायी जाएगी.

**टिप्पणी.**—(1) 'लाट्स' निकालने के लिए तैयार की गई पर्चियां गोपनीयता और प्राकृतिक न्याय बनाए रखने के लिए हर तरह से एक समान हों और किसी भी दशा में कोई भी यह न पहचान पाए कि यह पर्ची इस विशिष्ट निर्वाचन क्रमांक की है.

(2) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की पदावधि का निर्धारण कार्यपालन यंत्री की उपस्थिति अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (सहायक यंत्री से अनिम्न श्रेणी) तथा संबंधित उपयंत्री की उपस्थिति में जल उपभोक्ता संथाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से पूर्व किया जाएगा;

(3) जल उपभोक्ता संथा के समस्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पदावधि का निर्धारण किया जाएगा भले ही निर्वाचन के पश्चात् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के पद भरे न गए हों;

(4) यह सम्पूर्ण प्रयोग जल उपभोक्ता संथाओं को निरंतर निकाय बनाने की अवधारणा की शुरुआत के पश्चात् चयनित सदस्यों के प्रथम समूह तक सीमित होगी.

**4-ख जल उपभोक्ता संथाओं में एक से अधिक पद धारण करने के विरुद्ध प्रतिबंध.**—यदि कोई व्यक्ति, विभिन्न जल उपभोक्ता संथा क्षेत्रों से एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य के रूप में चयनित होता है, तो वह अन्य पदों से त्यागपत्र देकर अपनी पसंद के केवल किसी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पद धारण कर सकेगा.

(4) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“7. निर्वाचन कराने के लिए प्रक्रिया.—

- (1) कृषक संगठन के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों/ प्रबंध समिति के सभापति (चेयर पर्सन) अथवा अध्यक्ष तथा सदस्यों का निर्वाचन कृषक संगठन निर्वाचन नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
- (2) यदि कृषक संगठन की प्रबंध समिति में कोई महिला सदस्य न हो तो प्रबंध समिति किसी महिला को सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो सामान्य रूप से कृषक संगठन के क्षेत्र की निवासी हो.

(5) नियम 9 में, खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

- (च) (क) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए, ऐसी रिक्ति होने के पंद्रह दिन के भीतर सभापति, प्रबंध समिति की एक विशेष बैठक बुलाएगा जो प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए एक ऐसे जल उपभोक्ता को नामनिर्दिष्ट करेगी.

जो उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो. तथापि, ऐसा व्यक्ति ऐसी अस्थायी व्यवस्थाओं के दौरान जल उपभोक्ता संथा में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा.

- (ख) नामनिर्दिष्ट सदस्य तभी तक उस पद पर बना रहेगा जब तक कि आकस्मिक रिक्ति पर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो जाता.

(6) विद्यमान प्ररूप-क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

प्ररूप—“क”

[ नियम 3 का उपनियम (2) देखिए ]

यतः, यह विनिश्चित किया गया है कि सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र को जलीय आधार पर और प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य रूप में जल उपभोक्ता क्षेत्रों में अंकित किया जाए;

और यतः इस प्रकार से विभाजित किए गए जल उपभोक्ता क्षेत्रों को, क्रमशः वृहद/ लघु अथवा मध्यम सिंचाई प्रणाली के संबंध में जहां तक संभव हो सके, जल उपभोक्ता संथाओं के गठन के प्रयोजन के लिए बारह/ छह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में समान रूप से और विभाजित किया जाएगा.

अतएव, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) के नियम 3 के उपनियम (2) से (6) के अधीन मैं ..... कलक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी जिला ..... / प्राधिकृत अधिकारी, एतद्वारा ..... जल उपभोक्ता क्षेत्रों को बारह/ छः प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में अंकित करता हूँ और यह निदेश देता हूँ कि विभिन्न जल उपभोक्ता क्षेत्रों तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को दर्शाने वाले नक्शे तथा आरेख ..... ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर प्रदर्शित किए जाएं.

नीचे दिए गए विस्तृत ब्यौरे के अनुसार अंकन के विरुद्ध ऐसी कोई आपत्तियां या दावे, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित तारीख को छोड़कर 7 दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष फाइल किए जा सकेंगे.

सिंचाई प्रणाली  
जल उपभोक्ता संस्था

ग्राम का नाम

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या . . . . बारह/ छह

तहसील का नाम

वृहद् /मध्यम/ लघु परियोजनाओं का नाम

कुल कमाण्ड क्षेत्र, हेक्टर में . . . . . प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक . . . . .

(भाग संख्या . . . . .)

| अनुक्रमांक | स्लूस द्वार की स्थिति | कमाण्ड क्षेत्र |                      | ग्राम |
|------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|
|            |                       | सर्वे क्रमांक  | विस्तार (हेक्टर में) |       |
| (1)        | (2)                   | (3)            | (4)                  | (5)   |

जो लागू न हो उसे काट दें.

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/ प्राधिकृत अधिकारी  
जिला

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन

(वृहद् एवं मध्यम सिंचाई प्रणाली)

प्ररूप—क-1

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि का निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संस्था का नाम . . . . . जल उपभोक्ता संस्था का कोड क्रमांक . . . . . जिला . . . . .

| अनुक्रमांक<br>टी.सी. क्रमांक | (1) | (2) | पदावधि (वर्ष में) |            |
|------------------------------|-----|-----|-------------------|------------|
|                              |     |     | वर्षों की संख्या  | शब्दों में |
|                              |     |     | (3)               | (4)        |
| 1                            |     |     |                   |            |
| 2                            |     |     |                   |            |
| 3                            |     |     |                   |            |
| 4                            |     |     |                   |            |
| 5                            |     |     |                   |            |
| 6                            |     |     |                   |            |
| 7                            |     |     |                   |            |
| 8                            |     |     |                   |            |
| 9                            |     |     |                   |            |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|
| 10  |     |     |     |
| 11  |     |     |     |
| 12  |     |     |     |

गवाह हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल  
संसाधन विभाग .....  
पूरा नाम .....

जिला कलक्टर  
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री  
पूरा नाम .....

पूरा नाम .....

स्थान :

दिनांक :

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन

(लघु सिंचाई प्रणाली)

## प्ररूप—क-2

## प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पहचान तथा पदावधि निर्धारण (लॉट द्वारा)

जल उपभोक्ता संथा का नाम ..... जल उपभोक्ता संथा का कोड क्रमांक ..... जिला .....

| अनुक्रमांक | टी.सी. क्रमांक | पदावधि (वर्ष में) |            |
|------------|----------------|-------------------|------------|
|            |                | वर्षों की संख्या  | शब्दों में |
| (1)        | (2)            | (3)               | (4)        |
| 1          |                |                   |            |
| 2          |                |                   |            |
| 3          |                |                   |            |
| 4          |                |                   |            |
| 5          |                |                   |            |
| 6          |                |                   |            |

गवाह हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

1. कार्यपालन यंत्री/ उपखण्ड अधिकारी जल  
संसाधन विभाग .....  
पूरा नाम .....

जिला कलक्टर  
अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी

2. जल संसाधन विभाग का उपयंत्री  
पूरा नाम .....

पूरा नाम .....

स्थान :

दिनांक :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. धाकड, सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2014

क्र. 808-2014-म-इकतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 808-2014-म-इकतीस, दिनांक 1 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. धाकड़, सचिव.

Bhopal, the 1st December 2014

No.808-2014-म-XXXI.—In exercise of the powers conferred by Section 43 of Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhinyam, 1999 (No. 23 of 1999), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Farmers Organisation Constitution Rules, 1999, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In rule 3, for sub-rule (10), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(10) The Managing Committees of Water Users Associations are made a continuous bodies with one third of the member of the Territorial Constituency shall retire on completion of every two years, it is essential to form the required number of territorial constituencies in each of the Water Users Associations. There shall be twelve territorial constituencies in each Water Users Association of Major and Medium irrigation systems. In respect of Minor irrigation systems, the number of territorial constituencies shall be six. Hence the District Collector shall divide each of the Water user area, namely:—

- (i) in a Major or Medium irrigation system into twelve territorial constituencies as far as possible equally and;
- (ii) into six territorial constituencies as far as possible equally in respect of minor irrigation systems:

Provided that the Command Area under a direct pipe outlet as far possible shall not be bifurcated while dividing territorial constituencies.”.

(2) In rule 4, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) The District Collector shall prepare or cause to be prepared by the authorized officer, the list of land holders on the basis of record of rights, in form-C on the basis of the list as so prepared, he shall prepare or caused to be prepared territorial constituency-wise voters list in Form-D, consisting of those landholders who have completed eighteen years of age as on the dated of issue of notification for conducting elections in water user's area for electing the member of the Territorial constituency of the Water User's Association”.

(3) After rule 4, the following rules shall be inserted, namely :—

“4-A Fixing the tenure of members of Territorial Constituencies at the time of first election.—

In accordance to provision of sub-section (3) of Section 4 of the Principal Act, the tenure of the members of Territorial Constituencies shall be fixed as below:—

- (1) the Managing Committees of Water Users Associations being continuous bodies, the following procedure shall be adopted for fixing the tenures of members of Territorial Constituencies. However this exercise is limited to the first election, only—
  - (a) the members of the Territorial Constituencies shall be elected for at one time out of which 1/3<sup>rd</sup> of the members thereof shall retire on the completion of two years, another 1/3<sup>rd</sup> members shall retire after completion of four years term and the remaining 1/3<sup>rd</sup> members shall retired after completion of six years in office;

- (b) to decide their individual tenure, lots shall be drawn before the conduct of election of members of Territorial Constituencies is taken up and shall be recorded in Form-A1 or A2 as the case may be;
- (c) to District Collector shall designate or nominate by order an officer who shall be as far as possible be a Gazetted Officer of the State Government not below the rank of Tehsildar to decide the individual tenure of Territorial Constituencies of each Water User's Association, lots shall be drawn 7 days in advance before the date of publication of notice in Form-1 of Madhya Pradesh Farmers Organization Election Rules, 2014;
- (d) all members of Territorial Constituencies elected in the ordinary elections held subsequently, shall have tenure of six years uniformly as per the provisions of the Act.
- (2) The following procedure shall be adopted to draw lots with regard to the fixing of tenure of the members of Territorial Constituencies elected in the first election.

**(a) For Major and Medium Irrigation Systems—**

- (i) Twelve identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. Thereafter, the Territorial Constituency numbers from 1 to 12 shall be written on the above chits. This chits shall be kept in a single lot here in after called the "Territorial Constituency lot";
- (ii) four identical square chits of white paper of equal size on which the words "**two years**" shall be written on each and rolled as described above. In a similar procedure four chits with the words "**four years**" and four more chits is the words "**six years**" shall be prepared. All these twelve rolled chits shall be kept as another lot, hereinafter called "Tenure lot";
- (iii) to fix different tenures for the members of the Territorial Constituencies, the District Collector or an Officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall pick out one chit from the "**Territorial Constituency lot**" and shall also pick one chit from the "**Tenure lot**" after thorough shuffling of chits in each lot;
- (iv) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall enroll the chits so picked from the two lots and shall announce aloud the number of the Territorial Constituency and corresponding tenure. The picked up chits, after announcement, shall be kept separately;
- (v) this information shall be simultaneously recorded in Form-A1 and the signatures of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature;
- (vi) the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by the District Collector shall follow the same procedure till the tenures of all the members of the Territorial Constituencies are decided upon.

**(b) For Minor Irrigation System :—**

- (i) Six identical square chits of white paper of equal size shall be prepared. The Territorial Constituency numbers from 1 to 6 shall be written on the above chits. The chits shall be rolled along one side of the square chit so prepared. The rolled shall be kept in a single lot, hereinafter called the "**Territorial Constituency lot**";



- (ii) in the “**Tenure lot**” there shall be two chits containing the words as “**two years**”. Another two chits containing the words as “**four years**” and the balance two chits containing the words as “**six years**”;
- (iii) for deciding of the Territorial Constituency members, the District Collector or an officer not below the rank of Tehsildar as nominated by District Collector shall adopt the same procedure as specified above, in the case of Major and Medium Irrigation Systems;
- (iv) this information shall be simultaneously recorded in Form-A2 and the signature of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned may be obtained as witness and authenticate such entry with his signature.

**Note.**—(1) The chits prepared for drawing lots shall be truly identical in all respects to maintain secrecy and principle of natural justice and in no case no one shall be able to identify and particular chit with a particular Territorial Constituency number.

- (2) The fixing of tenures of the Territorial constituency members shall be taken up in the presence of Executive Engineer or his authorized representative (not below the rank of Assistant Engineer) and Sub-Engineer concerned before the election of Territorial Constituencies of Water User's Associations.
- (3) Tenures shall be fixed for all the Territorial Constituencies in a Water Users Association, even though the posts of Territorial Constituencies are not filled up after elections.
- (4) This whole exercise is limited to the first batch of elected members after the introduction of the concept of Water Users Associations, being continuous bodies.

**4-B. Restriction against holding more than one post Water User's Associations.**—If any person elected as the member of Territorial Constituency form more than one Territorial Constituency from different Water Users Association areas, he can hold only one Territorial Constituency post of his choice, resigning the ohter posts.”

(4) For rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

**“7. Procedure for conducting Election.**—

- (1) The election of the office of Chairperson or the President and members of Territorial Constituencies/ Managing Committee of Farmer's Organization shall be conducted in accordance with the provision of Farmer's organization Election rule, 2014.
- (2) If the Managing Committee of Farmer's Organization does not have a woman member, the Managing Committee shall nominate a women as a member who shall ordinary be a resident of farmer's Organization area.

(5) In Rule 9, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely :—

- (f) (a) To fill a vacancy of a Territorial Coinstituency member, the President shall convene a special meeting of the Managing Committee, which shall nominate a Water User, who is a voter in that territorial constituency, to act as a member of managing committee, with in fifteen days from the date of occurrence of such vacancy. However, such person is not eligible for election for the post of President in Water Users Association during the period of such transitional arrangements.

(b) The nominated member continues to hold the post only till a member of the territorial constituency is elected in the casual vacancy.

(6) For the existing Form-A, the following Forms shall be substituted, namely :—

“FORM “A”

[See sub-rule (2) of rule 3]

WHEREAS, it has been decided to delineate the entire command area into Water Users' Areas on hydraulic basis and which are found to be administratively viable;

AND WHEREAS, the water users' areas as so divided shall be further divided in to twelve/six number of territorial constituencies equally as for as possible for the purpose of forming the Water Users' Associations in respect of Major/Medium or Minor Irrigation Systems respectively;

NOW THEREFORE under sub-rule (2) to (6) of rule 3 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishikon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of 1999), I . . . . . the Collector and District Magistrate of . . . . . District/Authorised Officer hereby Delineate . . . . . Water Users 'Area into twelve/six territorial constituencies, and direct that the maps and sketches indicating the various Water Users' Areas and the territorial constituencies shall be displayed on the notice board of the . . . . . Gram Panchayat and on the notice board of the office of the Janpad Panchayat.

Any objections or claims against the delineation detailed below may be filed before the authorised officer within seven days excluding the date of display on the notice board of the office of Gram Panchayat or the Janpad Panchayat.

. . . . . Irrigation System.

. . . . . Water Users' Association,

Name of the Village . . . . . Total Nos. of Territorial Constituencies twelve/six  
Name of the Tehsil . . . . . Name of the major/minor . . . . . Total Command  
area in Hectare . . . . . Territorial constituency No. . . . .

(Part No. . . . .)

| Sl. No. | Location of<br>Off-Take-Sluice | Command Area |                   | Village |
|---------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|
|         |                                | Survey No.   | Extent in hectare |         |
| (1)     | (2)                            | (3)          | (4)               | (5)     |

Collector and District Magistrate/Authorised Officer.

Strike out which ever is not applicable

. . . . . District.

Election Territorial constituency Members

(Major and Medium Irrigation Systems)

FORM-A1

**Identification and Fixing of tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)**

Name of Water User's Association ..... Code of  
Water User's Association ..... District .....

| S.No.<br>(1) | T. C. No.<br>(2) | Tenure (Years)      |                 |
|--------------|------------------|---------------------|-----------------|
|              |                  | No. of Years<br>(3) | In Words<br>(4) |
| 1            |                  |                     |                 |
| 2            |                  |                     |                 |
| 3            |                  |                     |                 |
| 4            |                  |                     |                 |
| 5            |                  |                     |                 |
| 6            |                  |                     |                 |
| 7            |                  |                     |                 |
| 8            |                  |                     |                 |
| 9            |                  |                     |                 |
| 10           |                  |                     |                 |
| 11           |                  |                     |                 |
| 12           |                  |                     |                 |

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer  
of Water Resources Department  
Full Name

District Collector  
or an Officer nominated by him  
Full Name

2. Sub-Engineer  
of Water Resources Department  
Full Name

Place :

Date :

Election Territorial Constituency Members  
(Minor Irrigation Systems)

## FORM-A2

**Identification and Fixing of Tenure of Territorial Constituency Members (By Lots)**

Name of Water User's Association . . . . . Code of  
Water User's Association . . . . . District . . . . .

| S.No.<br>(1) | T. C. No.<br>(2) | Tenure (Years)      |                 |
|--------------|------------------|---------------------|-----------------|
|              |                  | No. of Years<br>(3) | In Words<br>(4) |
| 1            |                  |                     |                 |
| 2            |                  |                     |                 |
| 3            |                  |                     |                 |
| 4            |                  |                     |                 |
| 5            |                  |                     |                 |
| 6            |                  |                     |                 |

Witness Signature

Signature

1. Executive Engineer/Sub-Division Officer  
of Water Resources Department  
Full Name.

District Collector  
or an Officer nominated by him  
Full Name.

2. Sub-Engineer  
of Water Resources Department  
Full Name.”.

Place :

Date :

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
M. S. DHAKAD, Secy.